भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1794
उत्तर देने की तारीख : 30.07.2025
अल्पसंख्यकों के लिए लाभ

1794. श्री सु. वेंकटेशन:
श्री सचिदानन्दम आर.:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक समुदाय की तुलना में अधिक लाभ और सुरक्षा मिलती है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह कथन सरकार के उद्देश्य और अल्पसंख्यकों में विश्वास पैदा करने की आवश्यकता, दोनों को कमज़ोर कर रहा है;

(ग) क्या अल्पसंख्यकों को उनके पिछड़ेपन संबंधी सच्चर समिति जैसी रिपोर्टों की पृष्ठभूमि में विशेष देखभाल का अधिकार नहीं है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने ऐसा कोई अध्ययन कराया है या ऐसा आकलन करने के लिए कोई डेटा उपलब्ध है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (1) और (2), 16 (1) और (2), 25 (1), 26, 28 और 29 (2) अल्पसंख्यकों सहित भारतीय नागरिकों को भेदभाव के विरूद्ध स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 30 (1), 30 (1 क) और 30 (2) में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से प्रावधान हैं। सबका साथ सबका विकास की अपनी नीति के अंतर्गत, सरकार ने छह (6) केंद्रीय रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी और सिख तथा विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और कम सुविधा प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की हैं।

सरकार ने योजनाओं के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को शामिल करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया। ऐसी कुछ योजनाओं को सभी पात्र लाभार्थियों के लिए सार्वभौमिक बनाने हेतु उनके कवरेज और दायरे का विस्तार करके पुनर्गठित भी किया गया। सरकार के संतृप्ति दृष्टिकोण के तहत, कई योजनाएँ/घटक मुख्यधारा में आ गए हैं।

परिचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु, भारत सरकार ने अब विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की निगरानी हेतु नीति आयोग के विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) जैसे विभिन्न निगरानी तंत्रों/एजेंसियों की शुरूआत की हैं। DMEO को भारत सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन की सक्रिय निगरानी और मूल्यांकन करने का अधिदेश दिया गया है ताकि उनके कार्यान्वयन और सेवाओं के वितरण के दायरे को सुदृढ़ किया जा सके। नीति आयोग के DMEO को प्रदत्त आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (OOMF) योजना के उद्देश्यों या 'परिणामों' की प्राप्ति के लिए मापनीय संकेतक प्रदान करने का प्रयास करता है।

इसके अलावा, भागीदार मंत्रालयों/विभागों के पास अपनी-अपनी योजनाओं में अंतर्निहित निगरानी तंत्र है और वे नियमित रूप से इन योजनाओं की प्रगति की निगरानी कर रहे हैं।

*****